19 राज्यों में बारिश-आंधी का अलर्ट

आईएमडी की चेतावनी

नई दिल्ली, 01 जून. भारतीय मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों में मौसम के अचानक बदलने की चेतावनी जारी करते हुए 19 राज्यों में भारी बारिश, आंधी और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है.

मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर, पूर्व और मध्य भारत के कई क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हो सकती है. कुछ इलाकों में हवा की रफ्तार 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने की संभावना जताई गई है. उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित कई राज्यों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार उत्तर-पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने चक्रवाती परिसंचरण के कारण यह स्थिति बनी है. कई राज्यों में ओलावृष्टि और बिजली गिरने की आशंका भी व्यक्त की गई है. प्रशासन ने किसानों, मछुआरों और खुले स्थानों पर काम करने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है. पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन और पेड़ गिरने जैसी घटनाओं की आशंका को देखते हुए यात्रियों को मौसम अपडेट पर नजर रखने की अपील की गई है.

मौसम चेतावनी	भारी बारिश, आंधी और वज्रपात
प्रभावित राज्य	19
अधिकतम हवा की रफ्तार	80-90 किमी/घंटा
प्रमुख राज्य	यूपी, बिहार, दिल्ली, झारखंड, बंगाल, एमपी, राजस्थान
विशेष खतरा	बिजली गिरना, ओलावृष्टि
कारण	चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय
यूपी	कई जिलों में भारी बारिश व तेज आंधी
बिहार	70-75 किमी/घंटा की हवा संभव
झारखंड	80-85 किमी/घंटा की रफ्तार से तूफान
दिल्ली	बारिश के साथ 40-50 किमी/घंटा हवा
उत्तराखंड	बारिश, आंधी और ओले का अलर्ट

मौसम चेतावनी	भारी बारिश, आंधी और वज्रपात
हिमाचल	65-75 किमी/घंटा की तेज हवाएं
जम्मू-कश्मीर	1 से 4 जून तक बारिश की संभावना
पश्चिम बंगाल	कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी
पंजाब	70-80 किमी/घंटा की तेज आंधी संभव
राजस्थान	बारिश के साथ तेज हवा का अलर्ट
मध्य प्रदेश	कई जिलों में तूफान और बारिश
किसानों के लिए सलाह	खुले खेतों में सतर्कता बरतें
मछुआरों के लिए सलाह	नदी और जलाशयों से दूर रहें

प्रशासन ने की विशेष अपील
मौसम विभाग के निर्देशों का पालन करें

तीन तलाक के आरोप में पति के खिलाफ मुकदमा

हरिद्वार. उत्तराखंड में हरिद्वार के सिडकुल थाना पुलिस ने सोमवार को एक मुस्लिम महिला की शिकायत पर उसके पति के खिलाफ तीन तलाक बोलने, गाली-गलौज करने तथा जान से मारने की धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, ज्वालापुर क्षेत्र के मोहल्ला कस्साबान निवासी एक महिला ने 30 मई को कोतवाली सिडकुल में शिकायत दर्ज कराई. महिला का आरोप है कि उसके पति शमशाद पुत्र जहूर हसन निवासी मोहल्ला झोझगान, थाना पुरकाजी, जनपद मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश) ने उसका रास्ता रोककर अभद्र भाषा का प्रयोग किया और जान से मारने की धमकी दी. महिला ने यह भी आरोप लगाया कि पति ने उसके सामने तीन बार तलाक शब्द का उच्चारण किया. शिकायत के आधार पर कोतवाली सिडकुल पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया है. पुलिस ने बताया कि मामले की विवेचना महिला उपनिरीक्षक मनीषा नेगी द्वारा की जा रही है.

शिक्षा को कारोबार बनाना सभी बुराइयों का आधार : राहुल

नई दिल्ली, 01 जून. कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) पर उसकी गलतियों के लिये छात्रों से शुल्क वसूली को लूट करार देते हुए कहा है कि जब शिक्षा को सेवा के बजाय कारोबार बना दिया जाता है तो उससे अनेक बुराइयां जन्म लेना शुरू कर देती हैं.

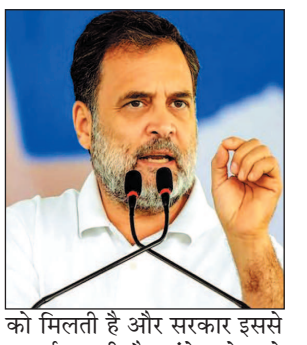

श्री गांधी ने सोमवार को सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि सीबीएसई की गलती से नंबर गलत आएं तो उसकी कीमत छात्रों को चुकानी पड़ती है. डिजिटल स्कैन कॉपी, री-टोटलिंग और री-इवैल्यूएशन के लिए अलग-अलग शुल्क देना पड़ता है. अपनी ही उत्तर पुस्तिका की सही जांच कराने के लिए एक छात्र को हजारों रुपये तक खर्च करने पड़ सकते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि मूल्यांकन प्रक्रिया में त्रुटियों का बोझ छात्रों पर डाला जा रहा है. उन्होंने कहा कि गलती सीबीएसई करती है और इसकी सजा बच्चे को मिलती है और सरकार इससे कमाई करती है।कांग्रेस नेता ने कहा जब शिक्षा को सेवा नहीं बल्कि कारोबार बना दिया जाता है तो गलतियां सुधरने के बजाय व्यवस्था का हिस्सा बन जाती हैं और इसकी सबसे बड़ी कीमत बच्चों को अपने समय, आत्मविश्वास और भविष्य से चुकानी पड़ती है।गौरतलब है कि सीबीएसई बोर्ड परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद उत्तर पुस्तिकाओं की डिजिटल प्रति, पुनर्गणना तथा पुनर्मूल्यांकन की सुविधा शुल्क पर उपलब्ध कराने को लेकर हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर बहस तेज हुई है.

भारत-म्यांमार रिश्तों को मुर्मु ने सराहा

नई दिल्ली. भारत दौरे पर आए म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग ह्लाइंग ने सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात की। राष्ट्रपति भवन में हुई इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने भारत और म्यांमार के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत बनाने पर जोर दिया। राष्ट्रपति मुर्मु ने कहा कि म्यांमार भारत का महत्वपूर्ण साझेदार है और दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ भारत के संबंधों में उसकी विशेष भूमिका है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कहा कि भारत और म्यांमार के बीच साझा बौद्ध विरासत और सदियों पुराने जन-से-जन संबंध दोनों देशों की मित्रता को विशेष गर्मजोशी प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रिश्ते बेहद मजबूत हैं, जो आपसी सहयोग को नई दिशा देते हैं. मुर्मु ने कहा कि म्यांमार भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु की भूमिका निभाता है.

गडकरी ने की राष्ट्रीय राजमार्गों की प्रगति की समीक्षा

नयी दिल्ली, 01 जून. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को आंध्र प्रदेश में 8,512 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों की गुणवत्ता और रखरखाव कार्यों की प्रगति की समीक्षा की.

आधिकारिक जानकारी के अनुसार गडकरी ने यह समीक्षा मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त फीडबैक के आधार पर की. बैठक में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई), सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों तथा विभिन्न परियोजनाओं से जुड़े ठेकेदारों ने भाग लिया.

उन्होंने अधिकारियों को मानसून के मद्देनजर व्यापक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए. इसमें सड़क सुरक्षा और राजमार्गों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए निवारक उपायों के साथ-साथ प्रभावी आपात प्रतिक्रिया तंत्र विकसित करने पर विशेष बल दिया गया. बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति, गुणवत्ता नियंत्रण, रखरखाव व्यवस्था तथा आगामी मानसून के दौरान सड़क नेटवर्क को सुरक्षित और सुचारु बनाए रखने के उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई.

> गडकरी ने परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से पूरा करने, गुणवत्ता के कड़े मानकों का पालन सुनिश्चित करने तथा आधुनिक तकनीकों के उपयोग पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि टिकाऊ और दक्ष राजमार्गों का निर्माण बेहतर संपर्क, आर्थिक विकास और यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए आवश्यक है.

हिमंता ने उपराष्ट्रपति से की मुलाकात

नई दिल्ली, 01 जून. असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा ने सोमवार को यहां उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन से मुलाकात की.

दिल्ली की यात्रा पर आए सरमा राधाकृष्णन से मिलने उपराष्ट्रपति भवन गये थे. मुख्यमंत्री ने उपराष्ट्रपति से मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि आज भारत के उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन जी से मुलाकात करके उन्हें असम के विकास की गाथा से अवगत कराना मेरे लिए सम्मान की बात है.

महिलाओं के लिए फ्री सरकारी बस सेवा शुरू

कोलकाता, 01 जून. पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के चुनावी 'संकल्प पत्र' में किए गए वादे के अनुसार, राज्य परिवहन की बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा सोमवार से पूरे राज्य में शुरू हो गई.

हालांकि, राज्य परिवहन विभाग के निर्देश के अनुसार इस सुविधा का लाभ लेने वाली महिलाओं को अपनी पहचान और पश्चिम बंगाल की निवासी होने का प्रमाण देने के लिए सरकार द्वारा मान्य किसी एक पहचान पत्र को साथ रखना अनिवार्य होगा. परिवहन विभाग से मान्य पहचान पत्रों की सूची में आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड, आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र या राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों और सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों से जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र आदि शामिल हैं.

आवश्यक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि बायोस्पन प्रा.लिमी. कुसुम योजना का सोलर प्लांट हेतु 33 KV लाइन चालू हो चुकी है, जो भगवानपुरा(बाकानेर) सोलर प्लांट से होकर भगवानपुर, डावरपुरा, जाटपुर से लेकर टोंकी ग्रिड पर जायेगी जिसकी दूरी 9 किलोमीटर रहेगी। अतः इन क्षेत्रों के किसान एवं आमजन विद्युत लाइन से दूरी बनाकर सावधानी रखें।

कलम तड़वाल
कार्यपालन यंत्री
म.प्र.प. क्षेत्रीय विद्युत वितरण
कंपनी लि. मनावर।

टीएमसी में बगावत की सुगबुगाहट शुरू

कोलकाता, 01 जून. अपने दो विधायकों- संदीपन साहा और ऋतब्रत बनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में पार्टी से निकाल दिया.

यह कार्रवाई तब हुई जब अभिषेक बनर्जी पर हमले के एक दिन बाद ममता बनर्जी द्वारा बुलाई गई विधायकों की बैठक में भारी अनुपस्थिति रही. कुल 80 टीएमसी विधायकों में से केवल 20 ही बैठक में पहुंचे, जबकि क़रीब 60 विधायक नदारद रहे थे. पार्टी के अंदर यह बड़ा संकट माना जा रहा है. टीएमसी की ओर से जारी नोटिस में कहा गया कि दोनों विधायकों को पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुना गया था, लेकिन वे बार-बार पार्टी की बैठक में नहीं आए और पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे. इसके साथ ही उन्होंने ऐसे बयान दिए और काम किए जो पार्टी के हित के खिलाफ थे. नोटिस में कहा गया, 'सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद पार्टी के सक्षम अधिकारी ने फ़ैसला लिया है कि आपको तुरंत प्रभाव से पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निकाला जाता है.

फर्जी हस्ताक्षर मामले में अभिषेक को दूसरा नोटिस

पश्चिम बंगाल विधानसभा में विधायकों के कथित फर्जी हस्ताक्षरों से जुड़े मामले में राज्य अपराध जांच विभाग ने तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक को दूसरा नोटिस जारी किया है। जांच एजेंसी ने उन्हें 8 जून को दोपहर 12 बजे भबानी भवन स्थित सीआईडी मुख्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा है. उन्हें 1 जून को पेश होने के लिए तलब किया गया था, उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उपस्थित होने में असमर्थता जताई. बताया गया है कि हाल ही में दक्षिण 24 परगना जिले के सोनारपुर में कथित चुनाव बाद हिंसा के एक पीड़ित से मुलाकात के दौरान उन पर हमला हुआ था, जिसके बाद उनका उपचार चल रहा है .यह मामला विधानसभा सचिवालय को सौंपे गए एक पत्र से जुड़ा है, जिसमें कई विधायकों के कथित फर्जी हस्ताक्षरों के इस्तेमाल का आरोप लगाया गया है .मामले की गंभीरता को देखते हुए सीआईडी ने विशेष जांच दल का गठन किया है .राजनीतिक रूप से संवेदनशील इस मामले पर सभी की नजरें टिकी हैं और अब 8 जून को अभिषेक बनर्जी की संभावित पेशी को जांच की दिशा तय करने वाला महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

आज का इतिहास

1966 -अमेरिका का पहला अंतरिक्ष यान चांद की ज़मीन पर सफलतापूर्वक उतरा

1979 - पोप का ओहदा संभालने के बाद पोप जॉन पॉल द्वितीय पहली बार अपनी मातृभूमि पोलैंड लौटे

1988 - भारतीय निर्माता, निर्देशक अभिनेता राज कपूर का निधन

OFFICE OF THE
SECRETARY KRISHI UPAJ MANDI SAMITI BURHANPUR
Distt. BURHANPUR (M.P.)

No /Mandi/Nirman/2026-27/313 Burhanpur Dated 29-05-2026

NOTICE INVITING TENDER

Online Percentage Rate E-Tenders are invited from contractors registered with the Office of the Engineer in Chief, M.P. Public Works Department, Government of Madhya Pradesh (Centralized Registration Cell) for Repairing Works of Boundary Wall At Old Cotton Mandi Yard Burhanpur Distt. Burhanpur (Second Call) Tender Number 2026_MPSAM_506538_1 (PAC Amount Rs. 16.75 Lakh), Repairing & Maintanance work (Annual Maintenance Contract) of Existing structures At Mandi yard Burhanpur (First Call) Tender Number 2026 MPSAM_506540_1 (PAC Amount Rs. 16.52 Lakh) and External Electrification Work 100 KVA Transformer, 11 KV Line At New Cotton Mandi yard Burhanpur (First Call) Tender Number 2026 MPSAM_511626_1 (PAC Amount Rs. 11.92 Lakh). The Following Works Tender To Be Received Online Up To 5:30 PM On 23/06/2026 Technical Bid Documents With EMD & Financial Offer To Be Received Online Only As Per Detailed NIT. The Tender Documents Can Be Obtained Online On The http://mptenders.gov.in As Per The Notice Published On The Above Portal And Detailed Information Can Also Be Seen On Website www.mpmandiboard.gov.in Note: Any Corrigendum In This NIT, If Required, Shall Be Displayed Only In Our Above Portal Regarding Any Matter Included In This NIT Or Otherwise. Other Details Of Construction /Development Works And Locations & Key Dates Can Also Be Seen On Our Website www.mpmandiboard.gov.in

Secretary
Krishi Upaj Mandi Samiti
Burhanpur Distt. Burhanpur

पश्चिम रेलवे - रतलाम मंडल
ई-नीलामी सूचना

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक - रतलाम मंडल - पश्चिम रेलवे ने नॉन फेयर रेवेन्यू (NFR) के माध्यम से ई-नीलामी आमंत्रित की है। केटलॉग को (www.ireps.gov.in) के (ई-ऑक्शन लीजिंग) पर प्रकाशित किया गया है, विवरण निम्न प्रकार से है। **ऑक्शन केटलॉग सं.: ADVT-OOH-26-10. अनुबंध का प्रकार: Advertising. लॉट नं.: ADVT-RTM-INDB-OH-53-25-2 (Advertising - Out of Home). अनुबंध की अवधि:** 02 वर्ष। **ई-नीलामी की तिथि:** 15.06.2026. **समय:** प्रातः 11:00 बजे। प्रारंभिक कुलिंग ऑफ अवधि 30 मिनट है। अनुक्रमिक लॉट को बंद करने का अंतराल 10 मिनट है। IREPS के ई-ऑक्शन मॉडयूल पर लॉटवाइज समापन समय देखा जा सकता है। SPAN/4/1/82

हमें लाइक करें: facebook.com/WesternRly

पश्चिम रेलवे - रतलाम मंडल
ई-नीलामी सूचना

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक - रतलाम मंडल- पश्चिम रेलवे पार्किंग स्टेण्ड की ई-नीलामी आमंत्रित की है। केटलॉग को IREPS वेबसाइट ई-ऑक्शन पर प्रकाशित किया गया है, विवरण निम्न प्रकार से हैं। **केटलॉग सं PARKING-RTM-8, अनुबंध का प्रकार पार्किंग स्टेण्ड, लॉट नं. PARKING-RTM-DHD-TW-91-26-1 (Dahod Main Side),** अनुबंध की अवधि 3 वर्ष। ई-नीलामी की तिथि और समय लॉट के लिए ई-नीलामी दिनांक 15.06.26 को 11:00 बजे प्रारंभ होगी। प्रारंभिक कुलिंग ऑफ अवधि 30 मिनट है। अनुक्रमिक लॉट को बंद करने का अंतराल 10 मिनट है। IREPS के ई-ऑक्शन मॉडयूल पर लॉटवाइज समापन समय देखा जा सकता है। SPAN/4/1/81

हमें लाइक करें: facebook.com/WesternRly

सोशल मीडिया के कम उपयोग की दी सीख

छात्राओं के अच्छे परिणाम पर सीएम योगी ने की सराहना

लखनऊ, 01 जून. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को देश की मजबूत नींव यानी उत्तर प्रदेश के मेधावी छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया. लोकभवन में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने यूपी बोर्ड, सीबीएसई के साथ ही साथ आईएससी-आईसीएससी बोर्ड के मेधावियों को एक-एक लाख रुपये का चेक और टैबलेट प्रदान किया.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में हाईस्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 223 मेधावी छात्र-छात्राओं का सम्मान किया. इसमें विभिन्न बोर्ड के मेधावियों के साथ उत्तर प्रदेश संस्कृत शिक्षा परिषद के छात्र-छात्राएं भी थे. लखनऊ में कार्यक्रम के साथ प्रदेश के 1459 जिला स्तर के मेधावियों को भी जिला मुख्यालयों पर आयोजित समारोहों में 21 हजार रुपये, मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया. सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर छात्र-छात्राओं को देश के भविष्य के निर्माता की उपाधि देने के साथ उनके माता-पिता व शिक्षक शिक्षिकाओं को बधाई. उन्होंने अभिभावकों को भी बड़ा संदेश दिया. उन्होंने कहा कि दो-वर्ष तीन वर्ष के बच्चों को मोबाइल पकड़ाना अनुचित है. उन्हें थोड़ा अन्य रचनात्मक विकास वाले कार्यों से जोड़िए.

भगवान राम के गुरु वशिष्ठ, विश्वामित्र और वाल्मीकि ने उन्हें गढ़ा और ज्ञान की परंपरा ने भारत को विश्वगुरु का दर्जा दिलाया. आज उसी कड़ी में यह मेधावियों का सम्मान भी है. मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्र-छात्राओं से यह अवश्य कहना चाहूंगा कि आप स्मार्टफोन के लिए अपने अभिभावकों पर अनावश्यक दबाव न डालें. डिजिटल लाइब्रेरी से जुड़ें, अपने पाठ्यक्रम पर ध्यान दें और समाचार-पत्रों का नियमित अध्ययन करें.

न्यायालय अपर कलेक्टर
(डॉ रिकेश कुमार वैश्य) जिला इन्दौर
(प्रशासनिक संकुल कक्ष क्र. 11)
क्रमांक / 285 / अकरी / 2026
इन्दौर दिनाक 25/5/2026
0023/ निगरानी / 2023-24
:: पेपर विज्ञप्तिः

प्रति, 1. संजय डाबरा पिता श्री इंद्रपा सिंह डाबरा निवासीः- ए-8 वार्ड नं. 09 किसान गृह नई दिल्ली 2. सतार पिता इब्राहिम पटेल 3 स्व. गफफार पिता स्व. इब्राहिम पटेल तर्फे वारिसान : 3.1 अफसर पिता स्व. गफफार पटेल 32 इरशाद पिता स्व. गफफार पटेल 3.3 नसीम पिता स्व. गफफार पटेल 3.4 मलका बी पति स्व. गफफार पटेल 4. स्व. शरीफ पिता स्व. इब्राहिम पटेल। तर्फे वारिसान : 4.1 अरब पिता स्व. शरीफ पटैल 4.2 शवाब पिता स्व. शरीफ पटेल 4.3 फिरोज पिता स्व. शरीफ पटेल. 4.4 शबाना पिता स्व. शरीफ पटेल 4.5 सलमा पिता स्व. शरीफ पटेल 4.6 शर्मिला पिता स्व. शरीफ पटेल 4.7 शब्बो पिता स्व. शरीफ पटेल 4.8 जरीना बी पति स्व. शरीफ पटेल सभी निवासी :- ग्राम कनाड़िया योगा, तहसील एवं जिला इंदौर (म.प्र.) द्वाराः- पेपर प्रकाशन। आवेदक श्रीमती सुचीत्रा दुबे पति आ. के दुबे के द्वारा म.प्र भू-राजस्व संहिता की धारा 50 के तहत अनुविभागीय अधिकारी कनाडिया जिला इन्दौर के प्रकरण क्रं, 0031/अपील / 2022-23 आदेश दिनांक 10.03.2023 से असंतुष्ट होकर निगरानी प्रस्तुत की गई है। अतः आप अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष नवीन प्रशासनिक संकुल मोती तबेला कक्ष क. जी - 11 जिला इन्दौर के न्यायालय में दिनांक 10/06/2025 को दोपहर 03:00 बजे प्रकरण के संबंध में समस्त दस्तावेज व साक्ष्य सहित उपस्थित रहे आपकी अनुपस्थिति की दशा में प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

अपर कलेक्टर
जिला इन्दौर (म.प्र.)

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड IDFC FIRST Bank
(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित)
(CIN-L65110TN2014PLC097792)
रजिस्टर्ड ऑफिस : के आरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031
फोन : +914445644000, फैक्स: +914445644022

परिशिष्ट IV [नियम 8 (1)] कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए)

जबकि अधोहस्ताक्षरी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड में विलय) के अधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत तथा सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 13(12) के साथ नियम 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 25.09.2024 को एक मांग नोटिस जारी किया, जिसमें उधारकर्ता, सह-उधारकताओं और गारंटरों 1. रामबाबू बलदेव 2. मनु बाई 3. सविता बाई को नोटिस में उल्लिखित राशि, जो कि रू.4,74,773.52/- (चार लाख चौहत्तर हजार सात सौ तिहेत्तर और बावन पैसे मात्र) 24.09.2024 तक है, को उक्त मांग नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया है।

ऋणकताओं द्वारा राशि का भुगतान न कर पाने के कारण, ऋणकताओं और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधोहस्ताक्षरी ने दिनांक 30 मई 2026 को नीचे वर्णित संपत्ति का भौतिक कब्जा ले लिया है।

ऋणकताओं और आम जनता को विशेष रूप से आगाह किया जाता है कि वे संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन न करें और संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार का लेन-देन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड में विलय) द्वारा रू. 4,74,773.52/- (चार लाख चौहत्तर हजार सात सौ तिहेत्तर और बावन पैसे मात्र) और उस पर ब्याज के प्रभार के अधीन होगा।

उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जो गिरवी रखी गई संपत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय से संबंधित हैं।

अचल संपत्तियों का विवरण

मध्य प्रदेश के देवास जिले के सोनकच्छ तहसील के सिक्खेड़ी गांव में सर्वे संख्या 150/2 में स्थित, 3200 वर्ग फुट (297.39 वर्ग मीटर) क्षेत्रफल वाली वह मकान संपत्ति, जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व में सड़क, पश्चिम में मदन सिंह की भूमि, उत्तर में सड़क और दक्षिण में स्वयं का मकान।

दिनांक: 30.05.2026
स्थान: मध्यप्रदेश
ऋण खाता संख्या: 87712218

प्राधिकृत अधिकारी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित)

रणनीति | समुद्री सुरक्षा और रक्षा उद्योग जैसे विषयों पर जोर

भारत-ऑस्ट्रेलिया वार्ता में रक्षा सहयोग को बल

नयी दिल्ली, 01 जून, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री एवं रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्ल्स के बीच सोमवार को एक महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय द्विपक्षीय वार्ता हुई.

इस वार्ता में दोनों देशों के रक्षा सहयोग की पूरी रूपरेखा की समीक्षा की गई. द्विपक्षीय वार्ता के उपरांत राजनाथ सिंह ने कहा कि नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्ल्स के साथ उनकी यह मुलाकात और बातचीत उत्कृष्ट रही. दोनों देशों ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के पूरे दायरे की समीक्षा की. इसके साथ ही भारत और ऑस्ट्रेलिया ने इसे संवाद व सहयोग को और आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की. रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के अनुसार भारत-ऑस्ट्रेलिया रक्षा साझेदारी आने वाले वर्षों में लगातार प्रगति करने के लिए तैयार है. सोमवार को हुई इस बातचीत से पहले ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री एवं रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्ल्स का नई दिल्ली में औपचारिक स्वागत किया गया. उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया. इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उपस्थित रहे. इसके बाद दोनों नेताओं के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक शुरू हुई.

> राजनाथ सिंह ने ऑस्ट्रेलियाई सरकार की हाल ही में जारी 2026 नेशनल डिफेंस स्ट्रेटेजी और इंटीग्रेटेड इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम की सराहना की. रक्षा मंत्री ने इस विषय पर कहा कि वह ऑस्ट्रेलियाई सरकार को हाल ही में प्रकाशित 2026 राष्ट्रीय रक्षा रणनीति और एकीकृत निवेश कार्यक्रम के लिए बधाई देना चाहते हैं. उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई रक्षा मंत्री से कहा कि आज की चर्चा के दौरान वह इस नीति दस्तावेज पर उनके विचारों को सुनने और भारत-ऑस्ट्रेलिया रक्षा संबंधों में विकास की संभावनाओं पर चर्चा करने के लिए उत्सुक हैं.

आधार हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड Aadhar Housing Finance Ltd

कार्पोरेट कार्यालय: ऑफिस नं. 501 एवं 503, पांचवी मंजिल, लाईटब्रिज, साकी विहार रोड़, अंधेरी पूर्व, मुम्बई सबअर्बन (जिला) महाराष्ट्र 400072
पीथमपुर शाखा: दुकान नंबर DUGF-46 और DUGF-47, संपत्ति नंबर 138 एवं 139, सुदर्शन कॉम्प्लेक्स और संस्कार वैली, महू-नीमच रोड, पीथमपुर, जिला-धार, म.प्र.
प्राधिकृत अधिकारी : दीपक मालवीय, संपर्क : 7583898990

निजी संधि के माध्यम से सरफेसी अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत संपत्ति की बिक्री के हेतु सूचना

चूँकि **आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (AHFL)** के प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के तहत सुरक्षित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। और चूँकि प्राधिकृत अधिकारी ने पहले ई-नीलामी नोटिस जारी किए थे लेकिन कोई सफल बोलीकर्ता को आकर्षित नहीं कर सका, और अब उसने नीचे दी गई सुरक्षित संपत्ति को निजी समझौते के माध्यम से विक्रय करने का फैसला किया है। प्राधिकृत अधिकारी को इस संबंध में कुछ इच्छुक व्यक्तियों से सुरक्षित संपत्ति की खरीद के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्राधिकृत अधिकारी एतद् द्वारा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 एवं 9 के संदर्भ में उपरोक्त संपत्ति की निजी समझौते के माध्यम से बिक्री के लिए आम तौर पर उधारकर्ताओं को यह नोटिस दे रहा है। खाते का विवरण इस प्रकार है:

क्रं.	लोन कोड नं. /शाखा	ऋणी/सह-ऋणी का नाम	मांग सूचना दिनांक एवं राशि	आरक्षित मूल्य (RP)	कुल बकाया ऋण राशि 25-05-2026 तक	सुरक्षित संपत्ति का विवरण
1.	(लोन कोड नं. 05100000509/ पीथमपुर शाखा)	कृष्णा बाई तिलकधारी (ऋणी) राम तिलकधारी (सह-ऋणी) प्रेमलाल जायसवाल (जमानतदार)	11-06-2021 & ₹ 7,16,356/-	₹ 5,50,000/-	₹ 15,28,850/-	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, 851 1 पैकी, मकान नं. 51 का दक्षिण भाग जो कि गोशाला तेलीखेड़ा, तहसील महू एवं जिला धार, इन्दौर, मध्य प्रदेश 453441 स्थित है। **चर्तुसीमाएँ:-** पूर्व- मोहन का खेत, पश्चिम- रोड़, उत्तर - सुनीता वर्मा का मकान, दक्षिण - संतोष काशिव का मकान

यह सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत 15 दिन का बिक्री नोटिस जो उधारकर्ता, सह-उधारकर्ता एवं जमानतदार को दिया जाता है कि उपरोक्त वर्णित अचल संपत्ति, जो सुरक्षित लेनदार के पास ग